


संशोधित आदेश

इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.03.2021 के द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के पत्र संख्या-प-12/2020 दिनांक 24-03-2021 के माध्यम से उपनिरीक्षक सीधी भर्ती-2011 बैच के अन्तर्गत आधारभूत प्रशिक्षण सत्र (वर्ष 2020-2021) में उत्तीर्ण घोषित हुये निम्नलिखित उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में आगमन की तिथि से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्रेड वेतन रू०: 4200 का न्यूनतम वेतन रू०: 35400-00 में अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किया गया था, जिसमें निम्नलिखित उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं की नियुक्ति सीमावर्ती जनपद में हो जाने के कारण उनके नाम के सम्मुख संशोधित नया जनपद आवंटित किया जाता है।

उपनिरीक्षक ना०पु० कैंडटों को आवंटित जनपद में आगमन करने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिनके द्वारा नियमानुसार दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही स्थाईकरण किया जायेगा। एक वर्ष के व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि में सम्बन्धित कर्मी को आवंटित जनपद से सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

कं० सं०	चेस्ट नं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	पूर्व आवंटित जनपद	संशोधित आवंटित जनपद	भर्ती की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	6	7
1	1	SACHIN KUMAR	CHHATARPAL SINGH	Bijnor	MRT	GZB	सीधी भती 2011
2	3	SUSHIL KUMAR	PREM SINGH	Bijnor	MRT	GZB	सीधी भती 2011
3	11	PRASHANT KUMAR	PAPENDRA SINGH	Bijnor	MRT	GZB	सीधी भती 2011
4	14	HITESH KUMAR	SUDESH KUMAR	Bijnor	MRT	GZB	सीधी भती 2011
5	22	ANUJ KUMAR	NAUBHAR SINGH	Bijnor	MRT	GZB	सीधी भती 2011
6	30	PRAMOD KUMAR	DAL CHAND	Bijnor	MRT	GZB	सीधी भती 2011
7	34	TIRENDER KUMAR	RAJPAL SINGH	Bijnor	MRT	GZB	सीधी भती 2011

DGP HQRS UP LKW

 NO:-111 (SI) SDHI BHARTI/2019/1005 DT-25-03-2021

(रामकृष्ण भारद्वाज)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशासन/स्थापना,
 उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या:पांच-111-(उ०नि०सी०भ०-2011)/2019/1005 दिनांक:मार्च 25, 2021


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया जनपदों को आवंटित उपनिरीक्षक ना०पु० सीधी भर्ती-2011 कैडटो के व्यवहारिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम अपने स्तर से सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने की कृपा करें।
- 2- अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 3- पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के पत्र संख्या-प-12/2020 दिनांक 24-03-2021 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ।
- 5- पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को इस अनुरोध से उपरोक्त उपनिरीक्षक सीधी भर्ती-2011 प्रशिक्षु उनसे सम्बन्धित मूल अभिलेखों को परिक्षेत्र स्तर से किसी जिम्मेदार अधिकारी के माध्यम से वाहन भेजकर उ०प्र० पुलिस अकादमी, मुरादाबाद, से प्राप्त कराकर परिक्षेत्र के जनपदों में भिजवाने का कष्ट करें, साथ ही इन प्रशिक्षुओं को लाते समय वाहनों को सेनेटराइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पूरा पालन किया जायेगा तथा सम्बन्धित कर्मी फेस मास्क का प्रयोग अवश्यमेव करेंगे। इन प्रशिक्षुओं के आगमन के उपरान्त पुलिस अस्पताल/ जिला अस्पताल से चिकित्सीय परीक्षण अवश्य करा लिया जाये।
- 7- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि उपरोक्त प्रशिक्षणाधीन उपनिरीक्षक ना०पु० से सम्बन्धित मूल अभिलेख सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था से प्राप्त कर उनके मिलान के उपरान्त ही अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि मूल अभिलेखों के मिलान से कोई भिन्नता पायी जाती है तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत करायेगे। व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान इन कर्मियों को प्रशिक्षण निदेशालय से प्राप्त दिशा-निर्देश/रोस्टर के अनुसार ही थानों/कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाये, प्रशिक्षण कार्यक्रम से इतर किसी भी कर्मी को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त/सम्बद्ध कदापि न किया जाये। उपरोक्त आवंटित उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं में से यदि किसी को नियमों के विपरीत जनपद आवंटित हो गया हो तो उसकी सूचना परिक्षेत्र/जोनल स्तर को प्रेषित करते हुये अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु अनुरोध करने एवं कृत कार्यवाही से इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 8- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद मेरठ।

संख्या तथा दिनांक वही

- 1- प्रतिलिपि:- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

DGP HQRS UP LKW



NO-3-111 (S) SMDH BHARTI/2019/1065 DT-25-03-2021